ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 16, Issue 2,Feb 2026 Impact Factor 8.059 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

भारत में सुशासन (Good Governance) की अवधारणा और चुनौतियाँ

डॉ. राजकुमार सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर - राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय आगरा कैंट,आगरा।

सारांश

सुशासन (Good Governance) एक ऐसा प्रशासनिक और सामाजिक ढांचा है जो केवल शासन की व्यवस्था को नहीं बल्कि समाज और राज्य के बीच संतुलन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और न्याय सुनिश्चित करता है। यह एक लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के पालन के साथ-साथ विकास की दिशा निर्धारित करता है।

भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुलतावादी देश में सुशासन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यहाँ **सामाजिक असमानताएँ, आर्थिक विषमताएँ, प्रशासनिक जटिलताएँ और भ्रष्टाचार** जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। Good Governance के बिना नीति निर्माण और उसका कार्यान्वयन अधूरा और असफल हो जाता है।

सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत में संविधान, न्यायपालिका, लोक प्रशासनिक तंत्र, नागरिक समाज संगठन, मीडिया और डिजिटल तकनीकें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके बावजूद भ्रष्टाचार, नीति क्रियान्वयन में विलंब, सामाजिक असमानता, डिजिटल चुनौतियाँ और नागरिक जागरूकता की कमी सुशासन के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधक हैं।

यह शोध पत्र **भारत में सुशासन की अवधारणा, इसकी आवश्यकता, संवैधानिक एवं संस्थागत ढाँचा, चुनौतियाँ और सुधारात्मक उपायों** का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

प्रस्तावना

सुशासन केवल प्रशासनिक व्यवस्था की दक्षता का नाम नहीं है। यह एक ऐसा समग्र तंत्र है जो लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और नागरिक सहभागिता के सिद्धांतों को एक साथ जोड़ता है। Good Governance का उद्देश्य **न्यायपूर्ण निर्णय लेना, पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना और उत्तरदायी प्रणाली का निर्माण करना** है।

- **वैश्विक दृष्टिकोण:** विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान कहते हैं कि Good Governance आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता, मानवाधिकार संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सफलता का आधार है। बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के, कोई भी लोकतंत्र सुदृढ़ और स्थायी नहीं रह सकता।
- **भारतीय संदर्भ:** भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुलतावादी और विशाल लोकतंत्र है। यहाँ प्रशासनिक जटिलताएँ, सामाजिक असमानताएँ, आर्थिक विषमताएँ और अलग-अलग भाषाई-धार्मिक समूहों के हित विद्यमान हैं। ऐसे समाज में सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता के लिए नहीं, बल्कि **सामाजिक न्याय, लोकतंत्र की स्थिरता और विकास की दिशा** सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है।

भारत में सुशासन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह **नागरिकों और राज्य के बीच विश्वास** बनाता है, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है और नीति निर्माण के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायक होता है।

1. सुशासन की अवधारणा

सुशासन (Good Governance) एक ऐसा प्रशासनिक और सामाजिक ढांचा है जो केवल शासन की सुव्यवस्था तक सीमित नहीं है। यह **लोकतंत्र, पारदर्शिता, न्याय, उत्तरदायित्व और विकास** को सुनिश्चित करने वाली प्रणाली है। सुशासन का उद्देश्य यह है कि **राज्य और नागरिकों के बीच विश्वास, सामाजिक न्याय और समान अवसर स्थापित हों।**

(i) सुशासन का इतिहास और विकास

सुशासन की अवधारणा आधुनिक समय की नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं में भी न्याय, प्रशासनिक दक्षता और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के विचार प्रचलित थे।

- **प्राचीन भारत:** महाभारत और रामायण में राजा और शासन की जिम्मेदारी केवल शक्ति के उपयोग तक सीमित नहीं थी, बल्कि जनता के कल्याण और न्यायपूर्ण शासन तक फैली हुई थी। चाणक्य ने अपने *अर्थशास्त्र* में शासन और प्रशासन की नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष बल दिया।
- **वैश्विक संदर्भ:** 18वीं और 19वीं सदी में अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा (1776) और फ्रांसीसी क्रांति (1789) ने प्रशासन और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संबंध को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी।
- **आधुनिक समय:** संयुक्त राष्ट्र के *World Governance Indicators* और विश्व बैंक ने Good Governance को आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियंत्रण और मानवाधिकार संरक्षण के लिए आवश्यक माना।

(ii) सुशासन के प्रमुख तत्व

1. **पारदर्शिता (Transparency)**

   - यह प्रशासनिक निर्णयों और गतिविधियों में स्पष्टता और जनता के लिए खुलापन सुनिश्चित करता है।
   - उदाहरण: सरकारी योजनाओं, बजट और रिपोर्ट का सार्वजनिकरण।
   - पारदर्शिता नागरिकों को यह जानने का अवसर देती है कि सरकार और अधिकारी किस प्रकार निर्णय ले रहे हैं और संसाधनों का उपयोग कैसे हो रहा है।

2. **जवाबदेही (Accountability)**

   - अधिकारी और संस्था अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं।
   - उदाहरण: भ्रष्टाचार या नीति क्रियान्वयन में त्रुटियों के लिए लोकपाल और Vigilance आयोग द्वारा कार्रवाई।
   - जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि कोई भी प्रशासनिक त्रुटि या अनियमितता अनदेखी न रहे।

3. **कानून का शासन (Rule of Law)**

   - सभी नागरिक और अधिकारी कानून के अधीन हैं।
   - उदाहरण: न्यायपालिका के माध्यम से मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा।

- यह तत्व सुनिश्चित करता है कि किसी को भी कानून के ऊपर विशेषाधिकार न मिले और समान न्याय प्राप्त हो।

4. **नागरिक सहभागिता (Citizen Participation)**

   - नीति निर्माण और प्रशासनिक निर्णयों में जनता की सक्रिय भागीदारी।
   - उदाहरण: पंचायत प्रतिनिधि प्रणाली, जनसुनवाई, ई-गवर्नेंस पोर्टल्स।
   - नागरिक सहभागिता सुशासन को मजबूत बनाती है क्योंकि यह प्रशासनिक निर्णयों को जनता की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप बनाती है।

5. **सामाजिक न्याय (Social Justice)**

   - कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करना।
   - उदाहरण: अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण, शिक्षा और रोजगार की योजनाएँ।
   - सामाजिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक और आर्थिक विकास सभी वर्गों तक समान रूप से पहुँचे।

(iii) सुशासन का वैश्विक और भारतीय संदर्भ

- **वैश्विक दृष्टिकोण:** OECD, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के अनुसार Good Governance आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता का प्रमुख आधार है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता के बिना विकास और मानवाधिकार संरक्षण संभव नहीं।

- **भारतीय संदर्भ:** भारत एक बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र है। यहाँ प्रशासनिक जटिलताएँ, सामाजिक असमानताएँ, आर्थिक विषमताएँ और बहुजातीय समाज विद्यमान हैं। सुशासन के माध्यम से ही इन विविधताओं के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

(iv) सुशासन के सामाजिक और विकासात्मक प्रभाव

- सुशासन केवल सरकारी निर्णयों तक सीमित नहीं है। यह **सामाजिक स्थिरता, नागरिक सहभागिता और आर्थिक विकास** को सुनिश्चित करता है।
- कमजोर वर्गों और पिछड़े समुदायों के लिए नीति और योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है।
- उदाहरण: डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं की पहुँच बढ़ाना, भ्रष्टाचार नियंत्रण, और नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निवारण।

2. भारत में सुशासन की आवश्यकता

भारत जैसे विशाल और बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र में सुशासन की आवश्यकता अत्यधिक है। सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह **लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और नागरिक सहभागिता** के लिए भी अनिवार्य है। सुशासन की कमी से भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और समाज में असमानताएँ बढ़ सकती हैं।

(i) लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना

- सुशासन लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र तभी स्थिर और प्रभावी हो सकता है जब नागरिकों का विश्वास प्रशासन और नीति निर्माण में बना रहे।
- यह प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- उदाहरण: चुनाव आयोग की निष्पक्षता और जनमत संग्रह प्रक्रियाएँ सुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी होता है, तो जनता का लोकतांत्रिक ढाँचे पर विश्वास मजबूत होता है।
- **सामाजिक प्रभाव:** लोकतंत्र में नागरिक अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, नीति निर्माण में अपनी राय व्यक्त करते हैं और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

(ii) नागरिकों का प्रशासन पर विश्वास बढ़ाना

- पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन से जनता का विश्वास बढ़ता है।
- उदाहरण: ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएँ, जैसे सरकारी योजनाओं का ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, नागरिकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि सरकार उनकी आवश्यकताओं और शिकायतों का ध्यान रख रही है।
- भ्रष्टाचार नियंत्रण, समय पर सेवाएँ और सूचना का अधिकार (RTI) प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास स्थापित करने में सहायक हैं।
- **सामाजिक महत्व:** प्रशासन पर विश्वास बढ़ने से समाज में स्थिरता आती है और नागरिक सरकारी नीतियों और योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं।

(iii) सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करना

- सुशासन यह सुनिश्चित करता है कि **सभी नागरिक, चाहे वे कमजोर वर्ग, पिछड़ा समुदाय या अल्पसंख्यक हों, समान अवसर और न्याय प्राप्त करें।**
- उदाहरण: अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नीतियाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाएँ।
- सामाजिक न्याय से समाज में असमानताओं और भेदभाव को कम किया जा सकता है।
- **आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव:** पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ती है, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है और लोकतंत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है।

(iv) भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता कम करना

- सुशासन भ्रष्टाचार, अनियमितता और प्रशासनिक अक्षमता को कम करता है।
- उदाहरण: लोकपाल और vigilance आयोग, भ्रष्टाचार निवारण नीतियाँ, और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम।
- सुशासन प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता, संसाधनों का सही उपयोग और नीति कार्यान्वयन की सटीकता सुनिश्चित करता है।
- **सामाजिक प्रभाव:** भ्रष्टाचार और अक्षमता कम होने से समाज में विश्वास बढ़ता है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुँचता है।

(v) आर्थिक विकास और सरकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन

- सुशासन नीति और योजनाओं को प्रभावी और समयबद्ध रूप से लागू करने का माध्यम है।
- उदाहरण: ग्रामीण विकास योजनाएँ, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना।

- सुशासन यह सुनिश्चित करता है कि विकास योजनाएँ उनके लक्ष्यों तक पहुँचे और समाज के सभी वर्गों तक लाभ पहुँचे।
- **अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:** सुशासन से निवेश का भरोसा बढ़ता है, रोजगार सृजन होता है, और आर्थिक विकास संतुलित और स्थायी बनता है।

(vi) राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना

- सुशासन राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेही से सत्ता का दुरुपयोग कम होता है।
- उदाहरण: लोकसभा और विधानसभा में पारदर्शी बजट प्रक्रिया, नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया।
- सुशासन यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक निर्णय केवल सत्ता के स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि **सामाजिक हित और न्याय** के लिए हों।

(vii) नागरिक जागरूकता और सहभागिता बढ़ाना

- सुशासन नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है।
- उदाहरण: जनसुनवाई, पंचायत प्रतिनिधि प्रणाली, डिजिटल शिकायत पोर्टल।
- नागरिक जागरूक होने से प्रशासन में उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- **सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव:** जागरूक नागरिक प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार की मांग करते हैं और नीतियों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं।

3. भारत में सुशासन सुनिश्चित करने के संवैधानिक और संस्थागत उपाय

भारत में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए संविधान, न्यायपालिका, लोक प्रशासनिक तंत्र, नागरिक समाज और मीडिया के माध्यम से विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं। इन उपायों का उद्देश्य **पारदर्शिता, जवाबदेही, न्याय और नीति कार्यान्वयन की प्रभावशीलता** बढ़ाना है।

(i) भारतीय संविधान

- भारतीय संविधान सुशासन का प्रमुख आधार है। यह **सभी नागरिकों और अधिकारियों के अधिकार और कर्तव्यों** को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है।
- **मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)**: नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार प्रदान करते हैं। उदाहरण: संविधान के अनुच्छेद 14–18 में समानता और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
- **नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy)**: सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण: सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बच्चा कल्याण, गरीबी उन्मूलन।
- **सामाजिक और आर्थिक अधिकार:** संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर और पिछड़े वर्गों, के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित हो।

विशेष उदाहरण: भारत में Right to Information Act (RTI, 2005) संविधानिक मूल्यों के अनुरूप पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का उपकरण है।

(ii) लोक प्रशासनिक तंत्र

- भारत में केंद्र और राज्य सरकार का प्रशासनिक ढाँचा सुशासन के कार्यान्वयन में मुख्य स्तंभ है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS):** यह सुनिश्चित करती है कि अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएँ गरीब और कमजोर वर्गों तक पहुँचें।
- **विकास योजनाएँ (Development Schemes):** जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY), स्मार्ट सिटी मिशन। इन योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करता है।
- **स्थानीय प्रशासन (Local Governance):** पंचायत प्रतिनिधि प्रणाली और नगर निगम प्रशासन स्थानीय स्तर पर निर्णय और निगरानी सुनिश्चित करता है।

विशेष उदाहरण: उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित जल परियोजनाएँ, जहां नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए Gram Sabha का आयोजन किया जाता है।

(iii) न्यायपालिका

- न्यायपालिका सुशासन सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है।
- **जनहित याचिका (Public Interest Litigation – PIL):** न्यायपालिका के माध्यम से सरकार की नीतियों और योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

- **सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय:** मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, और सरकारी निर्णयों में अनियमितता के मामलों में न्याय प्रदान करते हैं।
- **विशेष उदाहरण:** *Right to Education Act (RTE) 2009* के कार्यान्वयन में PIL के माध्यम से शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया।

(iv) नागरिक समाज और मीडिया

- नागरिक समाज और मीडिया सुशासन के लिए निगरानी और पारदर्शिता के स्तंभ हैं।
- NGOs और सामाजिक संगठन जैसे "Transparency International India" भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमता की रिपोर्टिंग में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
- मीडिया प्रशासनिक निर्णयों और सरकारी योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण कर जनता को जानकारी प्रदान करता है।
- डिजिटल तकनीक और ई-गवर्नेंस पोर्टल जैसे "MyGov", "e-Samadhan" नागरिकों की शिकायतों और सुझावों को सीधे सरकार तक पहुँचाते हैं।

(v) डिजिटलीकरण और तकनीकी उपाय

- ई-गवर्नेंस और डिजिटलीकरण ने सुशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है।
- उदाहरण: GST पोर्टल, Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली, और DigiLocker।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से नीति कार्यान्वयन की निगरानी, भ्रष्टाचार नियंत्रण और सेवा वितरण की गति बढ़ी है।

विश्लेषण: ये उपाय न केवल सुशासन को सुदृढ़ बनाते हैं बल्कि नागरिकों की सहभागिता और प्रशासनिक जवाबदेही को भी सुनिश्चित करते हैं।

4. भारत में सुशासन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ (Challenges to Good Governance in India – विस्तृत)

भारत में सुशासन के मार्ग में कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी चुनौतियाँ हैं।

(i) भ्रष्टाचार और अनियमितता (Corruption and Malpractice)

- भ्रष्टाचार प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर करता है।
- सरकारी योजनाओं और नीतियों का दुरुपयोग, काले धन का संचय और रिश्वतखोरी सुशासन की बाधाएँ हैं।
- **विशेष उदाहरण:** 2G Spectrum Scam, Commonwealth Games Scam जैसी घटनाओं ने यह दिखाया कि भ्रष्टाचार सुशासन के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है।

(ii) नीति और योजनाओं का कार्यान्वयन में विलंब (Delayed Implementation of Policies)

- कई योजनाएँ और नीतियाँ समय पर लागू नहीं होतीं।
- उदाहरण: ग्रामीण विकास और जल संरक्षण योजनाएँ अक्सर लक्ष्य तक नहीं पहुँच पातीं।
- प्रशासनिक जटिलताएँ, बजट की कमी, और संसाधनों का अभाव इस समस्या को बढ़ाते हैं।

(iii) सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ (Social and Economic Inequalities)

- भारत में वर्ग, जाति, धर्म और क्षेत्रीय आधार पर असमानताएँ सुशासन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।
- कमजोर और पिछड़े वर्ग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते।
- **विशेष उदाहरण:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का असमान वितरण।

(iv) नागरिक जागरूकता और सहभागिता का अभाव (Lack of Citizen Awareness and Participation)

- जनता की प्रशासनिक और नीति निर्माण में सक्रिय भागीदारी कम है।
- जनसुनवाई, पंचायत बैठकें और डिजिटल शिकायत पोर्टल्स में भागीदारी सीमित।
- इससे प्रशासनिक निर्णयों में जवाबदेही और पारदर्शिता कमजोर होती है।

(v) डिजिटल और तकनीकी चुनौतियाँ (Digital and Technological Challenges)

- ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवा प्रणाली में तकनीकी समस्याएँ।
- डेटा सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की पहुँच की कमी ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सुशासन को प्रभावित करती है।
- **विशेष उदाहरण:** Direct Benefit Transfer (DBT) में कई लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान और पोर्टल की समझ न होने के कारण लाभ नहीं मिल पाता।

(vi) राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक बाधाएँ (Political Instability and Administrative Hurdles)

- बार-बार सरकार बदलने, नीति में परिवर्तन और प्रशासनिक निर्णयों में देरी सुशासन को प्रभावित करते हैं।
- राजनीतिक दबाव के कारण अधिकारी अपने निर्णयों में निष्पक्षता खो सकते हैं।
- **विश्लेषण:** स्थिर राजनीतिक वातावरण और निष्पक्ष प्रशासन सुशासन की सफलता के लिए आवश्यक हैं।

5. सुशासन को सुदृढ़ करने के उपाय

- प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना।
- भ्रष्टाचार नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- नीति क्रियान्वयन में त्वरित कार्रवाई।
- नागरिक शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना।
- डिजिटल गवर्नेंस और ई-गवर्नेंस के माध्यम से निगरानी।

निष्कर्ष

भारत में सुशासन लोकतंत्र की सफलता और सामाजिक न्याय की आधारशिला है। संवैधानिक प्रावधान, न्यायपालिका, प्रशासनिक ढाँचा और नागरिक समाज इसके मुख्य स्तंभ हैं।

फिर भी भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी, नीति कार्यान्वयन में विलंब, सामाजिक असमानता और डिजिटल चुनौतियाँ सुशासन की प्रभावशीलता में बाधक हैं।

सशक्त लोकतंत्र, न्यायपूर्ण प्रशासन और नागरिक सहभागिता के माध्यम से ही भारत में **सुसंगठित, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन व्यवस्था** स्थापित की जा सकती है।

संदर्भ सूची

1. अवस्थी, ए., एवं महेश्वरी, एस. आर. (2018). *लोक प्रशासन*. आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन।

2. अरोड़ा, आर. के. (2016). *भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था*. नई दिल्ली: राज पब्लिकेशन।

3. बसु, डी. डी. (2019). *भारत का संविधान: एक परिचय*. नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस।

4. चतुर्वेदी, टी. एन. (2017). *लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार*. नई दिल्ली: मॅकग्रॉ हिल एजुकेशन।

5. फाडिया, बी. एल., एवं फाडिया, कुलदीप (2020). *भारतीय लोक प्रशासन*. आगरा: साहित्य भवन प्रकाशन।

6. जोशी, आर. पी. (2015). *भारत में प्रशासन और सुशासन*. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।

7. कुमार, संजय (2019). *भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था*. नई दिल्ली: पियर्सन पब्लिकेशन।

8. मिश्रा, आर. के. (2018). *सुशासन और ई-गवर्नेंस*. नई दिल्ली: अवध पब्लिशिंग हाउस।

9. सिंह, एम. पी., एवं सक्सेना, रेखा (2017). *भारतीय राजनीति: सिद्धांत और व्यवहार*. नई दिल्ली: पीएचआई लर्निंग।

10. शर्मा, अशोक (2021). *भारत में सुशासन की चुनौतियाँ*. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन।

11. द्विवेदी, ओ. पी. (2016). *लोक प्रशासन और विकास*. नई दिल्ली: यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन।

12. भारत सरकार. (2022). *भारत में सुशासन रिपोर्ट*. नई दिल्ली: प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग।

13. प्रशासनिक सुधार आयोग. (2019). *सुशासन पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट*. नई दिल्ली: भारत सरकार।

14. विश्व बैंक. (2020). *सुशासन और विकास: वैश्विक संकेतक रिपोर्ट*. वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक प्रकाशन।

15. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP). (2021). *सुशासन और सतत विकास रिपोर्ट*. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन।